विविध बैंक प्रकरण संख्या 16/2019 (RCMS 2019/00026) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा पुरानी आबादी श्रीगंगानगर प्रो. श्री जसबीर सिंह मीलू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशंनल बैंक मण्डल कार्यालय मीराम चौक, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री केवल सिंह निवासी हाउस नं. 10, वार्ड नं 6, चार ब्लॉक, पुरानी आबादी, जिला श्रीगंगानगर (राज.)), 2 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शोभा सिंह निवासी बिश्नोई मन्दिर के पास, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सुरजीत सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 5.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.10.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी सुरजीत सिंह की अचल रिहायशी सम्पत्ति हाउस नं. 10 (15' गुणा 45' वर्गफुट), वार्ड नं. 6, चतुर्थ ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 06.07.2107 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 30.06.2018 को 5,43,368/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 06.08.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी सुरजीत सिंह के स्वयं के हस्ताक्षर है तथा अप्रार्थी गांरटर को नोटिस भेजन की रसीद संलग्न है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की तामील हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री सुरजीत सिंह द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति हाउस नं. 10 (15' गुणा 45' वर्गफुट), वार्ड नं. 6, चतुर्थ ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री सुरजीत सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिह को 5.00/—लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.10.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में श्री सुरजीत सिंह द्वारा अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति हाउस नं. 10 (15' गुणा 45' वर्गफुट), वार्ड नं. 6, चतुर्थ ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 06.07.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 06.08.2018 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गए है एवं अप्रार्थी सुरजीत सिंह के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है तथा अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह को नोटिस जारी करने की रसीद पेश की है परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह को तामील हुआ अथवा नहीं? का पता नहीं चलता है। अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल रिहायशी सम्पत्ति हाउस नं. 10 (15' गुणा 45' वर्गफुट), वार्ड नं. 6, चतुर्थ ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर जो श्री सुरजीत सिंह के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.08.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 06.08.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण सुरजीत सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह के नाम रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है तथा नोटिस धारा 13(2) पर अप्रार्थी सुरजीत सिंह के स्वयं के हस्ताक्षर है। जिसके अनुसार अप्रार्थी सुरजीत सिंह को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है। अप्रार्थी गारंटर सुरेन्द्र सिंह जो की अधिनियम के अनुसार ऋणी की परिभाषा में ही आता है, की तामील के सम्बन्ध कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जबकि गारंटर सुरेन्द्र सिंह पर भी धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना आवश्यक थी, जो होनी नहीं पाई जाती है। उक्त विवेचन के अनुसार सुरेन्द्र सिंह पर पर उक्तानुसार नोटिस धारा 13(2) की तामिल नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यावाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर